



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1101/21

पनबुड़ी उर्फ मुखीराम साहू पिता झाड़ूराम साहू, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ठाकुरदेवा, चौकी मल्हार, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु : श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु: श्री नीरज शर्मा, सरकारी अधिवक्ता

(माननीय अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर निर्णय

04/03/2025

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) संख्या 09/2019 द्वारा पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश दिनांक 04.09.2021 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया:--

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत	1 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।



भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)(बी)/511 के तहत	दस वर्ष के कठोर कारावास और 4,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।
दोनों दंड को साथ-साथ चलने का आदेश दिया जाता है।	

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 11.11.2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस थाना मल्हार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 11.10.2018 को दोपहर लगभग 1.00 बजे, अजय साहू ने सूचना दी कि चैती बाई ने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता ने उनकी पुत्री तथा एक अन्य लड़की को अपने घर में रोक लिया था और उनके साथ बलात्कार किया था। जब वे वहां खेल रहे बच्चों से पूछने गए, तो उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता उन्हें पैसे देने के लिए अपने घर ले गया और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और उसके बाद प्रत्येक को 5/- दिए और उन्हें किसी को भी यह बात न बताने के लिए कहा। उक्त सूचना के आधार पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2018 भारतीय दंड संहिता कि धारा 376, 511 और 342 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 8 के तहत दर्ज किया गया था।

4. अपीलकर्ता पर ऊपर बताए अनुसार आरोप लगाए गए थे, जिसने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण चलाए जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण को साबित करने के लिए 17 साक्षियों से परीक्षा की। दं. प्र. सं. कि धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने प्रकरण में अपनी बेगुनाही और झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों तथा सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद, अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों का दोषी पाया और उसे आक्षेपित निर्णय के अनुसार दोषी ठहराया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित तर्क दिया :--

"i) अभियोजन पक्ष का पूरा प्रकरण बाल पीड़ितों (पीडब्लू-2) के बयान पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि वे बाल साक्षी हैं और उनके कथनों की पूरी तरह से जांच और पुष्टि की जानी चाहिए थी।

ii) यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अभिलेखों के विपरीत है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया है।

iii) साक्षियों के बयान चूकों और विरोधाभासों से भरे हैं और वे न्यायालय का विश्वास नहीं जगाते, इसलिए ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है।

iv) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष निराधार, विकृत, त्रुटिपूर्ण और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है और इसलिए उसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

v) विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मानने में घोर विधिक भूल की है कि पीड़िता की जांच डॉ. पारुल जोगी (पीडब्लू-10) द्वारा की गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी और ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध आरोपित कोई अपराध नहीं किया है।



vi) वह यह तर्क देता है कि पूर्व रंजिश के कारण पीड़िता के माता-पिता ने उसे झूठा फँसाया है। वर्तमान प्रकरण अधिकतम बलात्कार के प्रयास का ही माना जाएगा, न कि अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार करने का।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-

i) बाल पीड़िता ने अपने सभी बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और उसके बयान में कोई विसंगति नहीं है। उसने कहा है कि अभियुक्त ने पीड़िताओं के साथ बुरा व्यवहार किया था और जब उन्होंने विरोध किया और दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाई, तो अभियुक्त ने दरवाज़ा नहीं खोला।

ii) इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, गवाहों के साक्ष्य, नेत्र संबंधी और चिकित्सीय साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित होने के कारण, इस अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षों के अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. पीड़िता (पीडब्लू-2) ने विचारण न्यायालय में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह 8 वर्ष की थी और घटना के दिन, जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो अभियुक्त ने उसे और उसकी चचेरी बहन को अपीलकर्ता के घर बुलाया और कहा कि वह 5 रुपये देगा और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने उनके कपड़े उतार दिए और उनके साथ गलत काम किया। वे रोने लगीं और उससे जाने देने के लिए कहने लगीं, लेकिन अभियुक्त ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद, प्रत्येक को 5 रुपये दिए और किसी को न बताने के लिए कहा। (पीडब्लू-1) पीड़िता की माँ ने कहा है कि घटना के दिनांक को पीड़िता 7 वर्ष की थी और उस दिन पीड़िता, उसकी चचेरी बहन और अन्य बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उस समय, अपीलकर्ता उसकी पुत्री और उसकी भतीजी को अपने घर ले गया और उनके कपड़े उतारने के बाद, उनके साथ बलात्कार किया। पीड़िताएं चिल्लाईं और उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं खोला और कुछ देर बाद, उसने दरवाज़ा खोला और प्रत्येक को 5 रुपये दिए। उसने उनसे यह भी कहा था कि वे इस कृत्य के बारे में किसी को न बताएं। (पीडब्लू-3) पीड़िता का चाचा है। उन्होंने कहा है कि घटना के दिनांक को, जब उन्होंने अपीलकर्ता को बच्चों को अपने घर के अंदर ले जाते देखा और लगभग आधे घंटे के बाद, जब वे बाहर नहीं आए, तो उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने अपीलकर्ता के कृत्य के बारे में बताया। इसके बारे में सुनने पर, उन्होंने गाँव के बुजुर्गों को सूचित किया और उसके बाद, पुलिस स्टेशन मल्हार में रिपोर्ट दर्ज की गई। चौथी (पीडब्लू-4) एक ग्रामीण है जिसने पीड़ितों को अपीलकर्ता द्वारा अपने घर के अंदर ले जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद जब वे बाहर आईं, तो उसने पीड़ितों से पूछा कि उनके हाथ में क्या है, तो उन्होंने उसे अपीलकर्ता द्वारा दिए गए 5 रुपये दिखाए और घटना के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। फिर उसने घटना की जानकारी पीड़िता के चाचा को दी, जिन्होंने पीड़िता के पिता को इसकी सूचना दी। पीड़िता के पिता (पीडब्लू-5) ने बताया कि विजय साहू से सूचना मिलने पर, वे तुरंत मल्हार पुलिस थाना गए और अपीलकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता बच्ची की गवाही उसके बयान से मेल खाती है। पीड़िता बच्ची ने अपीलकर्ता की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा का सामना किया है और पूरी तरह से इस बात पर अड़ी रही है कि अपीलकर्ता ने उस पर और उसकी चचेरी बहन पर यौन उत्पीड़न किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि उसकी माँ और अपीलकर्ता की माँ के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। इसके अलावा, पीड़िता की माँ ने अपने कथन में अपीलकर्ता के साथ किसी पूर्व विवाद का उल्लेख नहीं किया।



10. सर्वोच्च न्यायालय ने फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 2 एससीसी 74 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष की एकमात्र कथन के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, जब कथन विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया जाता है और इसके लिए किसी स्वतंत्र पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे विचार से, पीड़ित बच्चे का बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद है और इस पहलू पर प्रतिपरीक्षा भी सही साबित हुई है।

11. पीड़ित बच्चे की उपरोक्त कथन की पुष्टि पीड़ित बच्चे की माँ (पीडब्लू-1) ने की है। उसने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। माँ का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 6 के तहत रेजेस्टे साक्ष्य के रूप में सुसंगत और स्वीकार्य हो जाता है क्योंकि घटना के बारे में सुनने के तुरंत बाद, उसने गाँव के बुजुर्गों को सूचित किया और उसके बाद पुलिस थाना मल्हार में रिपोर्ट दर्ज कराई।

12. अपीलकर्ता का यह तर्क कि डॉ. पारुल जोगी (पीडब्लू-10) द्वारा की गई एमएलसी के अनुसार, पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और योनिच्छद (हाइमन) बरकरार था, मान्य नहीं है। सिर्फ इसलिए कि पीड़िता की योनिच्छद (हाइमन) यथावत पाई गई, इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़िता पर यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था।

13. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने राधाकृष्ण नागेश (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और शेर आलम (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों पर सही ढंग से भरोसा किया था।

14. राधाकृष्ण नागेश (सुप्रा) में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"25. केवल यह तथ्य कि योनिच्छद बरकरार था और उसके गुप्तांगों पर कोई वास्तविक घाव नहीं था, इस तथ्य का निर्णायक आधार नहीं है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। अभियोगी संख्या 9 के अनुसार, लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास के स्पष्ट संकेत थे। इसके अलावा, बाद में लड़की के गुप्तांगों में मानव वीर्य पाया गया, जैसा कि एफएसएल रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यह पर्याप्त रूप से संकेत देता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। लिंग प्रवेश ही बलात्कार के अपराध को सिद्ध करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, अर्थात् यदि लिंग प्रवेश नहीं हुआ है, तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की व्याख्या विधानमंडल द्वारा इस प्रकार की गई है कि यह मान लिया जाए कि यदि लिंग प्रवेश हुआ था, तो बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक संभोग माना जाना पर्याप्त होगा। लिंग प्रवेश के परिणामस्वरूप हमेशा योनिच्छद का फटना आवश्यक नहीं होता है और यह हमेशा किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समग्रता में जाँच करनी चाहिए और फिर यह निर्धारित करने के लिए उसके संचयी प्रभाव को देखना चाहिए कि बलात्कार का अपराध हुआ है या नहीं। या यह आपराधिक यौन उत्पीड़न या लड़की की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले आपराधिक हमले का मामला है।"

15. राधाकृष्ण नागेश (सुप्रा) में उपर्युक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने शेर आलम (सुप्रा) में निम्नलिखित निर्णय दिया:-



"8. 'X' की एमएलसी एक्स.पीडब्लू-5/ए के तहत जीटीबी अस्पताल में तुरंत चिकित्सकीय जांच की गई, जहां उसने जांच करने वाले डॉक्टर को अपने पड़ोसी द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया। यह सच है कि एमएलसी (एक्स.पीडब्लू-5/ए) के अनुसार, हाइमन 'बरकरार' पाई गई और कोई फटन या घर्षण नहीं था। केवल इसलिए कि अभियोक्ता की हाइमन 'बरकरार' पाई गई और उसके गुप्तांगों पर कोई वास्तविक घाव नहीं था, यह इस तथ्य का निर्णायक नहीं है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू पर विस्तार से निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोक्ता के शरीर पर चोटों या हिंसा के निशान की अनुपस्थिति से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसने अभियुक्त के साथ संभोग के लिए सहमति दी थी. मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे एवं अन्य (1192) 3 एससीसी 204 में, लगभग आठ वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था।

16. यह अभिनिर्धारित किया गया कि योनि में बिना फटे लिंग का हल्का सा प्रवेश भी बलात्कार माना जाएगा। राधाकृष्ण नागेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **2012 (12) SCALE 506** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा होने पर जननांगों को कोई चोट पहुँचाए बिना या वीर्य के कोई दाग छोड़े बिना भी कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना पूरी तरह संभव है। एमएलसी (एक्स.पी-10) इतने शब्दों में नहीं कहता है कि यह यौन उत्पीड़न का मामला नहीं था। हालाँकि, एमएलसी रिपोर्ट में डॉक्टर (डॉ. पारुल जोगी पीडब्लू-10) ने कहा है कि जननांगों पर या उसके ऊपर कोई बाहरी चोट नहीं थी और हाइमन बरकरार पाई गई थी। हालाँकि उन्होंने यह राय दी है कि जबरदस्ती यौन क्रिया के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि नाबालिग के अंडरवियर, जिसमें वीर्य के धब्बे मौजूद थे, को एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है।

17. पोक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए और भी कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए बनाया गया था और इसीलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में बच्चों पर विभिन्न प्रकार के यौन हमलों के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। पीड़ित बच्चे के मन पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। इसका प्रभाव पीड़िता के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालना निश्चित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़िता की आयु बारह वर्ष से कम थी।

18. गणेशन बनाम राज्य (2020) 10 एससीसी 573 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पीड़िता की एकमात्र बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो उसे किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है और यह अभियुक्त को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है। उपरोक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के पास अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि संबंधी निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करने का अवसर था। अनुच्छेद 10.1 से 10.3 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया:--

"10.1. क्या यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, विजय [विजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191] में, यह कंडिका 9 से 14 में निम्नानुसार देखा गया है: (एससीसी पृ. 195-98) "



9. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एससीसी 550] में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक महिला, जो यौन हमले की शिकार है, अपराध में सहयोगी नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार है और इसलिए, साक्ष्य को सहयोगी के समान संदेह के साथ परखने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने निम्नानुसार देखा: (एससीसी पृ. 559, कड़िका 16)

'16. यौन अपराध की अभियोक्ता को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी घायल परिवादी या साक्षी के मामले में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति सजग और सचेत हो कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रही है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई विधि या प्रथा शामिल नहीं है जो उसे पुष्टिकरण की अपेक्षा करती है। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्ता की गवाही पर पूर्णतः भरोसा करने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को पुष्ट कर सके, हालाँकि सह-अपराधी के मामले में इसकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। अभियोक्ता की गवाही को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन अगर अभियोक्ता वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो अदालत उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है, जब तक कि उसे कमजोर और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। अगर मामले के रिकॉर्ड में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्ता के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को आमतौर पर अभियोक्ता को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर अभियोक्ता वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो अदालत उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है, जब तक कि उसे कमजोर और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। यदि मामले के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से यह पता चलता है कि अभियोक्ता के पास आरोपित व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अभियोक्ता को कोई क्षति न पहुँचना न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कारण नहीं हो सकता है। न्यायालय ने आगे यह भी माना कि अभियोक्ता की एकमात्र कथन के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है और यदि न्यायालय अभियोक्ता के कथन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मांग सकता है, जिससे उसे



उसके कथन का आश्वासन मिल सके। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 597, कंडिका 12)

12. यह सर्वविदित है कि बलात्कार के अपराध की पीड़िता होने की शिकायत करने वाली अभियोक्ता अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं है। ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि भौतिक विवरणों की पुष्टि के बिना उसकी गवाही पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह एक घायल गवाह से ऊँचे स्थान पर है। बाद वाले मामले में, शारीरिक रूप से चोट पहुँचती है, जबकि पहले वाले मामले में यह शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों है। हालाँकि, यदि तथ्यों की अदालत अभियोक्ता के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करती है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी गवाही को विश्वसनीय बनाए। सहयोगी के संदर्भ में समझे जाने वाले पुष्टिकरण के बिना आश्वासन ही पर्याप्त होगा।'

11. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384] में, इस न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अभियोजन पक्ष के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियाँ अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन हमले की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसमें किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि संपुष्टि प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है। अभियोजन पक्ष का बयान एक घायल साक्षी की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी को ठीक से समझाया भी नहीं जा सकता है न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पृ. 394-96 और 403, कंडिका 8 और 21) '

8. न्यायालय ने उस स्थिति को नज़रअंदाज़ कर दिया जिसमें एक बेचारी, लाचार नाबालिग लड़की खुद को तीन हताश युवकों की संगति में पा गई थी, जो उसे धमका रहे थे और उसे कोई भी शोर मचाने से रोक रहे थे। फिर, अगर जाँच अधिकारी ने ठीक से जाँच नहीं की या चालक या कार का पता न लगा पाने में लापरवाही बरती, तो यह अभियोजन पक्ष की गवाही को बदनाम करने का आधार कैसे बन सकता है? अभियोजन पक्ष का जाँच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और जाँच अधिकारी की लापरवाही अभियोजन पक्ष के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती थी। अदालतों को साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी स्वाभिमानि महिला अदालत में सिर्फ अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी, जैसे कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न डालने वाले कल्पित विचारों या अभियोक्ता के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियाँ घातक प्रकृति की न हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, नियमानुसार, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की माँग करना, चोट पर नमक छिड़कने के समान है।



अभियोजन पक्ष की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में संपुष्टि, कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है...

21. न्यायालयों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य विश्वास पैदा करता है, तो उसके बयान के भौतिक विवरणों की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर पूर्ण विश्वास करना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके, किसी सहयोगी के मामले में आवश्यक संपुष्टि के अलावा। अभियोजन पक्ष की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और निचली अदालत को अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटते समय संवेदनशील होना चाहिए।

12. उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा [उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा, (2002) 9 एससीसी 86] में, इस न्यायालय ने माना कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को विचलित (नष्ट) कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है और इसलिए, अभियोजन पक्ष की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य गवाहों से भी पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर कमी नहीं मानी जा सकती, खासकर जहाँ गवाहों ने अपराध होते हुए नहीं देखा हो।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह, (1993) 2 एससीसी 622] में, इस न्यायालय ने माना कि दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने से पहले अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि उसकी गणना की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है और ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं जो उसकी सत्यता के विरुद्ध हों। इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य [वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 2 एससीसी 9] में दोहराया है, जिसमें रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य [रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1952 एससी 54] में दिए गए एक पूर्व निर्णय पर भरोसा किया गया है।

14. इस प्रकार, इस मुद्दे पर जो कानून उभर कर आता है, वह यह है कि यदि अभियोक्ता का बयान विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है।

19. उपरोक्त निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन मामलों में साक्षी न तो पूरी तरह विश्वसनीय हैं और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय, न्यायालय को घटना की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय बिना किसी और पुष्टिकरण के पीड़िता को एक "उत्कृष्ट साक्षी" के रूप में मान सकता है, लेकिन उसकी



गुणवत्ता और विश्वसनीयता असाधारण रूप से उच्च होनी चाहिए। अभियोक्ता का बयान शुरू से अंत तक (छोटी-मोटी विसंगतियों को छोड़कर), प्रारंभिक बयान से लेकर मौखिक कथन तक, अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह पैदा किए बिना, सुसंगत होना चाहिए। यद्यपि यौन अपराध के मामलों में पीड़ित का कथन आमतौर पर पर्याप्त होती है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया अविश्वसनीय या अपर्याप्त विवरण, जिसमें पहचानी गई खामियां और कमियां हों, दोषसिद्धि दर्ज करना कठिन बना सकता है।

20. इस प्रकार, जैसा कि पहले कहा गया है, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य ने पीड़िता के साक्ष्य की पुष्टि की है। अपीलकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का तथ्य पीड़िता की दर्ज की गई गवाही से भी पुष्ट होता है और उसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को ही वह व्यक्ति बताया है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं है और यह बात संदेह से परे सिद्ध हुई।

21. अतः मुझे ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिलता जिसके आधार पर निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अपीलकर्ता द्वारा 7 वर्ष की पीड़िता के साथ जिस क्रूरता और अमानवीयता से बलात्कार किया गया है, उसे देखते हुए धारा 376(ए)(बी)/511 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कारावास का दंड भी पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है। अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए और यदि वह विश्वसनीय और भरोसेमंद है, तो उसे बिना किसी भय के स्वीकार किया जा सकता है और बिना किसी पुष्टि के उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि वर्तमान मामले में पीड़ित बच्ची ने बयान दिया है और साबित किया है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ और दूसरी पीड़ित लड़की, जो उसकी चचेरी बहन है, के साथ भी बलात्कार किया है।

22. यद्यपि यौन उत्पीड़न की पीड़िता, विशेषकर नाबालिग होने पर, को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी नाबालिग बच्ची का झूठे आरोप में फंसाए जाने के आरोपी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं होता। हालाँकि पीड़िता के माता-पिता अपने बयान से मुकर गए हैं क्योंकि वह पीड़िता का ममेरा भाई है और इसलिए उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, फिर भी पीड़िता का बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। पीड़िता ने अपनी जिरह में कहा है कि पीड़िता को उसकी माँ ने कभी भी झूठे सबूत देने के लिए नहीं सिखाया था।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की उपरोक्त कथन और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को दोहराते हुए, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि घटना के समय लगभग 7 वर्ष की आयु की नाबालिग, जो तर्कसंगत रूप से सोचने में असमर्थ है, के साथ अपीलकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है।

24. एक बार जब हम ऊपर बताए गए तरीके से चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, तो हमें इसे एक ऐसे मामले के रूप में देखना होगा जहां अपीलकर्ता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है जिसे जघन्य अपराध माना जाता है। यौन उत्पीड़न के ऐसे कृत्य से घृणा की जानी चाहिए। (2022)5 एससीसी 419 में रिपोर्ट किए



गए नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया और यह अभिनिर्धारित किया है जो नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:---

"18. बच्चे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन पर टिकी है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में बालिकाएँ अत्यंत असुरक्षित स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और/या यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार से, बच्चों का इस प्रकार शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है। इसलिए, बच्चे, विशेषकर बालिकाएँ, पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।"

25. चिकित्सा परीक्षण के दिन अभियोक्ता के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के स्पष्ट निशान न होने का यह अर्थ नहीं है कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी या उसने अपराध के समय कोई प्रतिरोध नहीं किया था। अभियोक्ता के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का न होना, अभियोक्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के मिथ्या होने का प्रमाण नहीं है। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

26. इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष, विशेष रूप से पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान से देखा जाए, तो यह न्यायालय इस विचारित राय का है कि बालिका को वैध संरक्षकता से हटाकर, उसे अपने घर ले जाकर, अंदर से दरवाजा बंद करके, और उसके अंतःवस्त्र उतारने के बाद उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाकर और यौन क्रिया करने के आशय से उसकी योनि को स्पर्श करके, विचाराधीन अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित होती है। अभियोजन पक्ष ने घटना का वर्णन हर जगह, यानी पुलिस द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में, मजिस्ट्रेट के समक्ष दं. प्र. सं. की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में और विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्यों में पूरी तरह से एकरूपता दिखाई है। यह न्यायालय अपीलकर्ता के वकील के इस तर्क से सहमत नहीं है कि पारिवारिक विवाद के कारण, अपीलकर्ता को पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा झूठे मामले में फंसाया गया है। यही कारण है कि कोई भी माता-पिता किसी मामूली पारिवारिक विवाद के कारण अपनी बेटी के संपूर्ण भविष्य को दांव पर लगाकर ऐसे अपमानजनक चरित्र-संबंधी आरोप लगाकर किसी को फंसाना नहीं चाहेंगे, जिससे समाज में उसकी आजीवन बदनामी और अपमान हो। उपरोक्त विवेचना के आलोक में, जैसा कि ऊपर वर्णित है, अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसे ऐसे ही बनाए रखा जाता है। इसी प्रकार, दी गई सजा भी अनुपातहीन नहीं लगती है और विधि के सुसंगत प्रावधानों में निर्धारित न्यूनतम दंड है।

27. अतः, आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाता है तथा अपील को खारिज किया जाता है।

28. चूँकि अपीलकर्ता पहले से ही कारागार में है, इसलिए इस संबंध में कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है।

29. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

सही/-

अरविंद कुमार वर्मा

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

